<u>न्यायालयः—साजिद मोहम्मद, न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी, चन्देरी</u> <u>जिला—अशोकनगर (म.प्र.)</u>

<u>दांडिक प्रकरण कं.-163/09</u> <u>संस्थापित दिनांक-04.04.2009</u> Filling no-235103000842009

मध्यप्रदेश राज्य द्वारा :-आरक्षी केन्द्र चन्देरी जिला अशोकनगर।अभियोजन विरुद्ध 1- मुलायम सिंह पुत्र प्राणसिंह रजक उम्र 45 साल

- 2— बंटी पुत्र मुलायम सिंह रजक उम्र 19 साल 3— कपर पत्र मथरा प्रसाद आय 21 साल
- 3— कपूर पुत्र मथुरा प्रसाद आयु 21 साल निवासीगण — एच.एस.सी.एल कॉलोनी बडेरा चंदेरी

.....आरोपीगण

-: <u>निर्णय</u> :--

(आज दिनांक 19.12.2017 को घोषित)

- 01— अभियुक्तगण के विरुद्ध धारा 294, 323/34, 324/34, 506 बी भा0द0वि0 के अन्तर्गत दण्डनीय अपराध का आरोप है कि दिनांक 16.03.2009 को 11 बजे ग्राम बडेरा में लोकस्थल पर, फरियादी आत्माराम को मां—बहन की अश्लील गालियां देकर उसे तथा अन्य सुनने वालो को क्षोभ कारित किया एवं फरियादी आत्माराम, हेमन्त की मारपीट करने का सामान्य आशय बनाया उसके अग्रशरण में फरियादी की मारपीट कर स्वेच्छया उपहित कारित की तथा फरियादी आत्माराम की मारपीट कर स्वेच्छया उपहित कारित की तथा फरियादी की धारदार अस्त्र से मारपीट कर स्वेच्छया उपहित कारित की तथा फरियादी को जान से मारने की धमकी देकर आपराधिक अभित्रास कारित किया।
- 02— अभियोजन का पक्ष संक्षेप मे है कि फरियादी आत्माराम ने उसके पिता के साथ चौकी राजघाट पर रिपोर्ट लेखबद्ध कराई कि दिनांक 16.03.2009 को करीब 11 बजे दिन में भगवान दास की आटा चक्की पर आटा पिसाने गया था तभी वहां मुलायम सिह, बंटी, कपूर रजक तीनो आये और पुरानी रंजिश पर से उसे मां बहन की अश्लील गालियां देने लगे, उसने गाली देने मना किया तो तीनो ने उसे घेरकर मुलायम ने उसके सिर पर खडेलुआ मारा जो माथे के उपर सिर में चोट लगकर खून निकल आया, बंटी ने उसके सिर में पीछे पत्थर मारा, वह जमीन पर गिर पडा तो तीनो ने उसकी लात घूसो से मारपीट करने लगे तभी हेमंत ने आकर उसे बचाया तो कपूर ने उसे बांये हाथ में काट खाया, वह चिल्लाया तो मंगल लोधी, भगवानदास,

कन्छेदी ने उन्हें बचाया। मुलायम बगैरह कहने लगे कि अब दादागिरी बताई तो आइन्दा जान से खत्म कर देगे। पुलिस द्वारा अन्वेषण के दौरान घटना स्थल का नक्शामौका बनाया गया। साक्षीगण के कथन लेखबद्ध किये। आरोपीगण को गिरफ्तार किया तथा अन्वेषण की अन्य औपचारिकताएं पूर्ण कर अभियोग पत्र न्यायालय में प्रस्तुत किया।

03— अभियुक्तगण को आरोपित धाराओं के अंतर्गत आरोप पत्र तैयार कर पढकर सुनाये, समझाये जाने पर अभियुक्तगण द्वारा अपराध किये जाने से इंकार किया गया तथा विचारण चाहा गया। अभियुक्त परीक्षण किये जाने पर स्वयं को निर्दोश होना तथा रंजिशन झुठा फसाया जाना एवं बचाव में कोई साक्ष्य न देना व्यक्त किया।

04- प्रकरण के निराकरण हेतु विचारणीय प्रश्न हैं कि :-

- 1. क्या अभियुक्तगण द्वारा दिनांक 16.03.2009 को 11 बजे ग्राम बडेरा में लोकस्थल पर, फरियादी आत्माराम को मां—बहन की अश्लील गालियां देकर उसे तथा अन्य सुनने वालो को क्षोभ कारित किया ?
- 2. उक्त घटना दिनांक समय व स्थान पर फरियादी आत्माराम, हेमन्त की मारपीट करने का सामान्य आशय बनाया उसके अग्रेसरण में फरियादीगण की मारपीट कर स्वेच्छया उपहित कारित की ?
- 3. उक्त घटना दिनांक समय व स्थान पर फरियादी आत्माराम की मारपीट करने का सामान्य आशय बनाया उसके अग्रेसरण में फरियादी की धारदार अस्त्र से मारपीट कर स्वेच्छया उपहति कारित की ?
- 4. उक्त घटना दिनांक समय व स्थान पर फरियादी को जान से मारने की धमकी देकर आपराधिक अभित्रास कारित किया ?

: : सकारण निष्कर्ष : :

विचारणीय प्रश्न क0 1 व 4

05— विचारणीय प्रश्न क0 1 व 4 का निराकरण साक्ष्य की पुनरावृत्ति को रोकने के लिये एक साथ किया जा रहा है। अभियुक्तगण के विरुद्ध आरोपों को संदेह से पर प्रमाणित करने का भार अभियोजन में निहित होता है। फरियादी आत्माराम अ०सा०1 ने उसके न्यायालयीन कथन में व्यक्त किया गया कि वह अभियुक्तगण को पहचानता है। घटना उसके न्यायालयीन कथनों से करीब ढेड साल पहले की होकर करीला मेले की है। वह दिन के 11 बजे भगवान दास की चक्की के पास ग्राम बडेरा में गेहूँ पिसाने के लिये गया था। अभियुक्तगण से उसकी पुरानी रंजिश थी इसी बात पर आरोपी मुलायम, बंटी व कपूर उसे घेर लिये तीनो आकर उसे मारने लगे और मां

बहन की गालियां देने लगे और उससे बोले की मां चोद देगे मादर चौद की गालियां दी। गालियां सुनने में बुरी लगी।

- 06— विष्णु प्रसाद वि० म०प्र० राज्य 1975 जे.एल.जे 148 में माननीय न्यायालय द्वारा यह अभिनिर्धारित किया गया है कि मां बहन की गालियां अश्लीलता की परिधि में नहीं आती है ऐसे शब्द अभद्र तो हो सकते है किन्तु अश्लील नहीं माना जा सकता। इसके अतिरिक्त यहां यह भी उल्लेखनिय है कि प्रकरण में स्वयं फरियादी आत्माराम अ०सा०१ द्वारा उसके कथनो में स्पष्ट रूप से यह तथ्य भी नहीं आया कि अभियुक्तगण ने उसे लोक स्थान पर गाली दी थी। भारतीय दण्ड विधान की धारा 294 के अपराध को साबित करने के लिये मात्र इस प्रकार की औपचारिक साक्ष्य थी। अभियुक्त ने गालियां या मां बहन की गालियां दी थी पर्याप्त साक्ष्य नहीं है।
- 07— आत्माराम अ०सा०१ ने उसके मुख्य परीक्षण के पैरा 2 में बताया कि आरोपीगण कह रहे थे कि जान से मार देगे। उक्त साक्षी के अलावा किसी भी अन्य साक्षीगण द्वारा इस बात का समर्थन नहीं किय है कि आरोपीगण द्वारा फरियादी को जान से मारने की धमकी दी गई । आत्माराम अ०सा०१ ने उसकी साक्ष्य में स्पष्ट नहीं किया है कि अभियुक्तगण द्वारा उसे दी गई अभिकथित धमकी से उसे भय तथा संत्रास कारित हुआ हो। इसके विपरीत प्रकरण के अवलोकन से घटना के पश्चात ही सूचनाकर्ता आत्माराम अ०सा.०१ द्वारा प्रथम सूचना रिपोर्ट प्र.पी १ लिखाये जाने का तथ्य सूचनाकर्ता को अभिकथित धमकी से निरंतर एवं वास्तविक भय एवं संत्रास कारित होने की विपरीत स्थिति प्रकट करता है।
- 08— भा०द०स० की धारा 503 में परिभाषित "आपराधिक अभित्रास" का अपराध गिठत करने के लिये धमकी वास्तिवक होना चाहिए न की शब्द, जहां कि शब्द बोलने वाले व्यक्ति का आशय वह नहीं होता जोिक वह कह रहा है और वह व्यक्ति जिसें धमकी दी गई है वास्तव में भयभीत न हो वह अपराध घटित नहीं होता है। आपराधिक अभित्रास का एक महत्वपूर्ण तथ्य यह भी है कि भयभीत करने का अथवा किस व्यक्ति को भयभीत किया गया है उस व्यक्ति को वह कार्य करने के लिये विवश करने का आशय होना चाहिए जिसेकी करने के लिये वैधानिक रूप से वह बाध्य नहीं है या ऐसा कार्य/लोप करने के लिये विवश करना चाहिए जिसे करने का उसे वैधानिक रूप से अधिकार है, साथ ही उपयोग किये गये शब्दो से इस बात का स्पष्ट संकेत होना चाहिए कि अभियुक्त क्या करने वाला है और फरियादी को युक्तियुक्त रूप से वह लगना चाहिए कि अभियुक्त उसके शब्दो को कार्य रूप में परिणित करने वाला है। शरद दबे एवं अन्य विरुद्ध महेश गुप्ता व अन्य 2005 (4) एन.पी.एल.जे. 330 में माननीय न्यायालय द्वारा अवधारित किया गया कि केवल जान से मारने की धमकियां भा0द0सा0 की धारा 506 भाग—2 के अधीन अपराध का गठन नहीं करती।

09— फलतः ऐसी स्थिति में उपरोक्त विवेचना से यह युक्तियुक्त संदेह से परे प्रमाणित नहीं होता है कि अभियुक्तगण ने घटना दिनांक समय व स्थान पर सूचनाकर्ता आत्माराम अ0सा01 को मां बहन की गालियां देकर उसे तथा अन्य सुनने वालो को क्षोभ कारित किया तथा संत्रास कारित करने के आशय से जान से मारने की धमकी देकर आपराधिक अभित्रास किया।

विचारणीय प्रश्न क. 2 व 3 :--

- 10— विचारणीय प्रश्न क0 2 व 3 का निराकरण साक्ष्य की पुनरावृत्ति को रोकने के लिये एक साथ किया जा रहा है। आत्माराम अ0सा01 ने उसके न्यायालयीन कथनो में बताया कि जब वह घटना वाले दिन भगवान दास की चक्की के पास ग्राम बड़ेरा में गेहूँ पिसाने गया था तो वहां पर अभियुक्तगण ने पुरानी रंजिश पर गालियां दी और गालियां देने से मना करने पर तीनो आरोपीगण मारने लगे। उक्त साक्षी ने बताया कि सबसे पहले उसे मुलायम ने खड़ेलुआ से सिर में मारा, चोट आई और खून निकला, आरोपी बन्टी ने पत्थर सिर में मारा और उसे लात घुसो से मारने लगे, जिससे उसके सिर हाथ पैरो में चोटे आई थी, उसे हेमन्त ने आकर बचाया तो आरोपीगण उसे भी मारने लगे और उसके हाथ में काट लिया, जिसके संबंध में उक्त साक्षी द्वारा राजघाट चौकी पर प्र.पी.1 की रिपोर्ट की थी जिसके अ से अ भाग पर उसके हस्ताक्षर है। उक्त साक्षी का कहना है कि पुलिस मौके पर आई थी और घटना स्थल का नक्शामौका प्र.पी.2 बनाया था जिसके अ से अ भाग पर उसके हस्ताक्षर है, उसका स्वास्थ्य परीक्षण हुआ था और पुलिस ने उसके बयान लिये थे।
- 11— आत्माराम अ०सा०१ ने उसके प्रतिपरीक्षण में बताया कि पूर्व में उसकी आरोपीगण से गाली गलौच हुई थी इसलिये वे रंजिश रखते है। उक्त साक्षी ने प्रतिपरीक्षण में बचाव पक्ष के इस सूझाब से इंकार किया कि उसने आरोपीगण की भतीजी से छेड छाड की थी, जिसकी रंजिश है। किन्तु उक्त साक्षी ने बचाव पक्ष के इस सुझाब को स्वीकार किया कि उसने आरोपीगण की 5—6 साल पहले मारपीट की थी।
- 12— नारायण दास अ०सा०४ ने उसके न्यायालयीन कथनो में बताया कि वह आरोपीगण को जानता है और फिरयादी आत्माराम को भी जानता है। घटना के समय वह एच.एस.सी.एच कॉलोनी बडेरा में रहता था और राजघाट बोर्ड में सुपरबाईजर के पद पर पदस्थ था। घटना एच.एस.सी.एच कॉलोनी के पास की है, वह चिल्लाने की आवाज सुनकर घटना स्थल पर पहुँचा तो देखा आरोपीगण मनोज को मार रहे थे, मुलायम हाथ में सिरया लिये था, शेष लोग डण्डा लिये थे। उक्त साक्षी ने बताया कि मनोज व आत्माराम के साथ मारपीट हुई और किसी के साथ मारपीट नहीं हुई। उक्त साक्षी का कहना है कि आरोपीगण व फिरयादी के बीच पहले भी झगडा हुआ था, किसी पूर्व रंजिश के कारण यह घटना हुई थी।

*Criminal Case No-163/09*Filling no-235103000842009

- 13— अभियोजन अधिकारी द्वारा नारायण दास अ०सा०४ से न्यायालय की अनुमित से सूचक प्रश्न पूछे जाने पर उसने इस बात से इंकार किया कि आरोपीगण ने हेमन्त की मारपीट की थी। प्रतिपरीक्षण में उक्त साक्षी का कहना है कि सिरया मुलायम सिह लिये था जो कि लोहे का था। उक्त साक्षी ने बचाव पक्ष के इस सुझाब से इंकार किया कि उसने मारपीट होते नहीं देखा है तथा इस बात से भी इंकार किया कि मुलायम सिह की बच्चीयों के साथ उसके लडकों ने छेड छाड की थी। इसके अलावा अभियोजन की ओर से प्रस्तुत साक्षी भगवानदास अ०सा०३ एवं मंगल अ०सा०६ ने अभियोजन कहानी का कोई समर्थन नहीं किया है। अभियोजन अधिकारी द्वारा उक्त दोनो साक्षीगण से न्यायालय की अनुमित से अभियोजन द्वारा सुचक प्रश्न पूछे जाने पर उन्होंने घटना का कोई समर्थन नहीं किया जिससे उक्त दोनो साक्षीगण की साक्ष्य से अभियोजन को कोई लाभ प्राप्त नहीं होता है।
- 14— विजय बहादुर सिंह अ०सा०५ का कहना है कि वह दिनांक 16.03.2009 को चौकी राजघाट में सहायक उप निरीक्षक के पद पर पदस्थ था और उक्त दिनांक को फरियादी आत्माराम द्वारा आरोपीगण के विरूद्ध रास्ता रोककर अश्लील गालियां देने, मारपीट करने एवं जान से मारने की धमकी देने की रिपोर्ट लेखबद्ध कराई थी जो प्र. पी.1 है जिसके ए से ए भाग पर उसके हस्ताक्षर है। प्रतिपरीक्षण में उक्त साक्षी ने बताया कि जब आत्माराम और हेमन्त चौकी पर रिपोर्ट लेखबद्ध कराने आए थे उस समय उसे कहा—कहा चोटे आई थी वह नहीं बता सकता। उक्त साक्षी ने प्रतिपरीक्षण में बताया कि फरियादी ने उसे घटना में लकडी के खडेरूआ से मारना बताया था अन्य किसी वस्तु से मारा हो तो याद नहीं है। उक्त साक्षी ने बताया कि उसके द्वारा घटना में प्रयुक्त खडेरूआ जप्त नहीं किया गया था क्योंकि खडेरूआ काफी ढूडने के पश्चात भी नहीं मिला था। उक्त साक्षी ने बचाव पक्ष के इस सुझाब से इंकार किया कि उसने नारायण सिह से मिलकर झुटा प्रकरण आरोपीगण के विरूद्ध तैयार किया था।
- 15— डॉ. एस.पी.सिद्धार्थ अ०सा०२ ने उवके कथनो में बताया कि वह दिनांक 16.03. 09 को सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र चंदेरी में बीएमओ के पद पर पदस्थ था। उक्त दिनांक को चौकीदार नाथूलाल थाना चंदेरी से आत्माराम रैकवाल को मेडिकल परीक्षण हेतु लाया था जिसमें उसे चोट क० 1 कटा हुआ घाव जो सिर के फुन्टल भाग के मध्य में स्थित था, जिसका आकार 2.5 गुणा 1 गुणा 3.5 सेमी था। चोट क० 2 फटा हुआ घाव सिर के उपरी भाग पर, नीलगू निशान बांयी आंख की बोह पर, नीलगू निशान दांहिनी कनपटी पर था। उक्त समस्त चोटो पर सुजन दर्द, घाव एवं कपड़ो पर खून के थक्के जमे हुए थे तथा चोट क० 1 धारदार हथियार से आई थी एवं शेष चोटे सख्त एवं वोथरी वस्तु से आई थी जो मेडिकल परीक्षण के 24 ६ ांटके के भीतर की थी, साक्षी के द्वारा तैयार मेडिकल रिपोर्ट प्र.पी.3 है जिसके ए से ए भाग पर उसके हस्ताक्षर है। प्रतिपरीक्षण में उक्त साक्षी ने बताया कि आहत आत्माराम व हेन्मत को उसके पास शाम साढे 6 बजे परीक्षण हेतू लाया गया था। आहत

आत्माराम को चोट क0 2 किसी दरबाजे से निकलते वक्त आने से आ सकती है और चोट क0 1 नुकीली वस्तु से टकराने से एवं चोट क0 3 व 4 गिरने से आ सकती है।

16— प्रकरण में अवलोकनीय है कि प्रकरण वर्ष 2009 से लंबित है और अभियोजन को साक्ष्य हेतु पर्याप्त अवसर दिये गये तथा प्रकरण के आहत हेमन्त को अभियोजन न्यायालय में साक्ष्य हेतु प्रस्तुत करने में असफल रहा एवं आहत हेमन्त की साक्ष्य न हो पाने की बजह से प्रकरण में हेमन्त को आई हुई चोटो के संबंध में जो सर्वोत्तम साक्ष्य हेमन्त के द्वारा पेश की जा सकती थी वह नहीं की जा सकी है और उक्त सर्वोत्तम साक्ष्य का अभाव रहा हैं। अतः हेमन्त के संबंध में किये गये अपराध के संबंध में साक्ष्य के अभाव में आरोपीगण को दोषी नहीं ठहराया जा सकता है।

17— अभियोजन साक्ष्य में फरियादी आत्माराम अ०सा०1 द्वारा आरोपी मुलायम द्वारा उसे खडेरूआ से सिर में मारना एवं आरोपीगण द्वारा लात घूसो से मारने वाली बात व्यक्त की है। साक्षी के उक्त कथन सारतः प्रतिपरीक्षण में भी अखण्डनीय रहे है। यद्य पि घटना के चक्षुदर्शी साक्षी नारायण दास द्वारा घटना में आरोपीगण द्वारा मनोज को मारने की बात भी व्यक्त की है, किन्तु प्रकरण में स्वयं फरियादी द्वारा या अभियोजन कहानी में मनोज नाम के किसी भी व्यक्ति के घटना के समय उपस्थित होने या उसे चोटे होने के संबंध में कोई कथन नहीं है। किन्तु नारायण दास अ०सा०४ द्वारा घटना में आरोपीगण द्वारा फरियादी आत्माराम की मारपीट किये जाने का कथन किया है जोकि प्रतिपरीक्षण में भी सारतः अखण्डनीय रहा है। फरियादी आत्माराम को आई हुई चोटो का समर्थन डॉ. एस.पी.सिद्धार्थ अ०सा०२ द्वारा भी किया गया है। म०प्र० शासन वि0 हमीम खांन 1999 (2)जे.एल.जे.पी-310 में माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने यह अभिमत प्रकट किया कि यदि आहत की साक्ष्य का समर्थन चिकित्सीय साक्ष्य से होता हो तब ऐसी साक्ष्य को विश्वसनीय माना जा सकता है। जहां तक अभियुक्तगण के द्व ारा सामान्य आशय का निर्माण कर उसके अग्रसरण में आहत की मारपीट कर उपहति किये जाने का प्रश्न है। इस संबंध में अभियोजन साक्षी आत्माराम द्वारा अभियुक्तगण द्वारा मिलकर उसके साथ मारपीट किया जाना व्यक्त किया है तथा सामान्य आशय का निर्माण घटना स्थल पर भी किया जा सकता है। जहां तक स्वेच्छया उपहति कारित किये जाने का प्रश्न है कि इस संबंध में अभिलेख के अवलोकन से दर्शित है कि अभियुकतगण घटना कारित करते समय उनके द्वारा किये गये कृत्यों के प्रभाव को जानते थे। अभिलेख के अवलोकन से अभियुक्तगण द्वारा प्रतिरक्षा के अधिकार अथवा गंभीर व अचानक प्रकोपन के कारण उपहति कारित किया जाना दर्शित नहीं है। उपरोक्तानुसार किये गये विचारणीय बिन्दुओ पर विशलेषण के आधार पर आरोपीगण द्वारा आहत आत्माराम अ०सा०१ की मारपीट का सामान्य आशय बनाया और उसके अग्रसरण में फरियादी की धारदार अस्त्र ''खडेरूआ'' से मारपीट कर स्वेच्छया उपहति कारित की। किन्तु आरोपीगण के विरूद्ध धारा 294, 323/34, 506 बी भा0द0वि0 के आरोप प्रमाणित न होने से दोषमुक्त किया जाता है, और प्रमाणित अपराध धारा 324/34 भा0द0वि0 में दोषी पाते हुए दोषसिद्ध घोषित किया जाता है।

- 18— आरोपीगण को परिवीक्षा का लाभ दिये जाने के तथ्य पर विचार किया गया। आरोपीगण द्वारा आहत आत्माराम की सामान्य आशय के अग्रसरण में धारदार अस्त्र से मारपीट कर स्वेच्छया उपहति कारित की है। उक्त तथ्य को दृष्टिगत रखते हुए आरोपीगण को परिवीक्षा पर उन्मुक्त किया जाना यह न्यायालय उपयुक्त नहीं पाता है।
- 19— दण्ड के प्रश्न पर सुने जाने हेतु निर्णय थोडी देर के लिये स्थगित किया गया।

साजिद मोहम्मद न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी चंदेरी, जिला अशोकनगर म0प्र0

पुनश्च:-

- 20— बचावपक्ष के विद्वान अधिवक्ता श्री दीपक श्रीवास्तव एवं अभियोजन को दण्डादेश के प्रश्न पर सुना गया। बचाव पक्ष के विद्वान अधिवक्ता द्वारा निवेदन किया गया कि उदारतापूर्वक दण्ड से दण्डित किये जाने की प्रार्थना की, जबिक अभियोजन की ओर से शिक्षाप्रद दण्ड दिये जाने की प्रार्थना की।
- 21— उभयपक्ष की उक्त प्रार्थना को ध्यान में रखते हुए प्रकरण के अवलोकन उपरांत आरोपी को निम्नानुसार दण्डित किया जाता है।

अभियुक्त	धारा	सश्रम कारावास	अर्थदण्ड की राशि	अर्थदण्ड के व्यतिकम में सश्रम कारावास
मुलायम	324 / 34	6 माह का कारावास	500/-	15 दिन
बन्टी	324 / 34	6 माह का कारावास	500/-	15 दिन
कपूर	324 / 34	6 माह का कारावास	500/-	15 दिन

- 22— अभियुक्तगण द्वारा निरोध में बिताई गई अविध के संबंध में धारा 428 द0प्र0स0 का प्रमाण पत्र बनाया जाकर प्रकरण में संलग्न किया जावे।
- 23- प्रकरण के निराकरण हेतु कोई मुद्देमाल विद्यमान नहीं है।

Criminal Case No-163/09 Filling no-235103000842009

24- अभियुक्तगण के जमानत मुचलके निरस्त किये जाते है।

निर्णय खुले न्यायालय में घोषित कर हस्ताक्षरित,दिनांकित किया गया।

मेरे निर्देशन में टंकित किया गया।

साजिद मोहम्मद न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी चंदेरी, जिला अशोकनगर म0प्र0 साजिद मोहम्मद न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी चंदेरी, जिला अशोकनगर म0प्र0